दिनांक 08.02.2014 को 11.00 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय सभा कक्ष में श्री कुमार रवि, जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार

1. राजस्व कार्यों की समीक्षा

(क) वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्धता

समीक्षा के दौरान पाया गया कि दरभंगा जिले के सर्वेक्षित कुल 5677 बासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है।

इसी कम में सभी अंचलाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि तृतीय चरण का सर्वेक्षण कार्य सरकारी निदेश के आलोक में करते हुए साथ–साथ उन्हें भूमि उपलब्ध कराने हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(ग) दाखिल खारिज

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिले के सभी 18 अंचलों को मिलाकर कुल 37513 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है तथा 2706 मामले लम्बित हैं, जो संतोषजनक नहीं है।

समीक्षा के कम में पाया गया कि जिले में गत माह तक हनुमाननगर अंचल का प्रतिवेदन 639 पाया गया है तथा घनश्यामपुर में मात्र 472 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। इसके अतिरिक्त किरतपुर अंचल में भी मात्र 583 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन हुआ है। यह बहुत हीं दुःखद स्थिति है। गत माह में भी यही स्थिति थी। इसमें सुधार लाने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को इसपर विशेष ध्यान देने हेतु निदेशित किया गया।

दाखिल खारिज के मामले में पुनः यह भी निदेशित किया गया कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के मामले में आवेदक को इसकी विधिवत नोटिस जारी किया जाय एवं उनका पक्ष जानने के बाद अस्वीकृति की सूचना भेजी जाय कि किस कारण से उनका दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत किया गया है।

(घ) लगान वसूली

वसूली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले की कुल वसूली का प्रतिशत लगभग 41.88 प्रतिशत है। जिले में सबसे कम वसूली 18.71 प्रतिशत तारडीह अंचल का है। यह स्थिति दुःखद है। संबंधित अंचलाधिकारी को इसमें सुधार लाने हेतु निदेशित किया गया। गत कई माह से इस अंचल की स्थिति खराब थी, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है जबकि अन्य अंचलों में काफी सुधार हुआ है।

(ङ.) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय वाद

समीक्षा के कम में पाया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर के न्यायालय में 489, बेनीपुर में 212 तथा बिरौल के न्यायालय में 447 मामले लम्बित है। पूछताछ करने पर बताया गया कि सदर में 90 दिन के बाद वाले 117 मामले सदर, 05 मामले बेनीपुर एवं बिरौल में 9 मामले है। आदेशों के अनुपालन की समीक्षा में पाया गया कि सदर अनुमंडल में 63, बेनीपुर में 10 तथा बिरौल अनुमंडल में 151 मामले अनुपालन हेतु लम्बित है। अनुपालन की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी लम्बित अनुपालन संबंधी मामले का थाना अध्यक्ष से समन्वय कर ससमय निष्पादन सुनिश्चित जाय। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया कि आदेश का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा करेंगे।

(च) सैरातो की वन्दोवस्ती

सैरातों की बन्दोवस्ती की समीक्षा में पाया गया कि जिले की कुल 84 सैरातों में से वर्ष 2013–14 के लिए मात्र 46 सैरातों की बन्दोवस्ती हो पायी है।

सभी अंचलाधिकारी को पुनः निदेशित किया गया कि अंचलवार बन्दोवस्त, अबन्दोवस्त एवं विभागीय वसूली वाले सैरातों की सूची एक सप्ताह के अन्दर जिला को उपलब्ध कराने हेतु गत बैठक में निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा विभागीय वसूली वाले सैरातों से प्राप्त आय को प्रत्येक माह कोषागार में जमा कराकर इसकी सूचना जिला राजस्व को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया था कि जिन सैरातों की सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव भेजना बांकी रह गया है, उसे तत्काल भेज देंगे ताकि उसका जिला सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से सुरक्षित जमा निर्धारित कराकर वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जा सके।

(छ) बासरहित अन्य सुयोग्य श्रेणी का सर्वेक्षण एवं उपलब्धि

बासरहित अन्य सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के सर्वेक्षण एवं भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 1545 ऐसे सर्वेक्षित परिवारों में अभीतक मात्र 673 परिवारों को हीं भूमि उपलब्ध कराये गये हैं। यह स्थिति काफी खराब है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि हर हाल में सभी सर्वेक्षित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं सभी मामले में गैर मजरूआ खास एवं क्रय नीति के तहत भूमि उपलब्ध कराया जाय।

(ज) लोक भूमि अतिक्रमण

समीक्षा के दौरान पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण के संबंध में जिले में कुल 143 मामले लम्बित हैं। जिनमें सबसे अधिक मामला तारडीह अंचल में 43 बेनीपुर में 19, दरभंगा 15, बहादुरपुर 27, हनुमाननगर 12 , बहेड़ी 12 मामले लम्बित है। गत माह में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। सभी लम्बित मामले का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(झ) चालू खतियान का निर्माण

समीक्षा के दौरान पाया गया कि चालू खतियान के निर्माण की दिशा में अभीतक किसी भी अंचल में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जबकि इसके लिए सरकार एवं जिलास्तर से लगातार निदेश दिए जा रहे हैं। गत माह में सभी अंचलों का प्रतिवेदन शून्य पाया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में 1277 मौजा में अभीतक मात्र 236 मौजा का खतियान निर्माण किये जाने की सूचना दी जा रही है तथा मात्र 15 में कार्य प्रारंभ होने की सूचना दी जा रही है। बहेड़ी, मनीगाछी, तारडीह जाले, अलीनगर, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान अंचल की स्थिति काफी खराब पायी गयी है। सभी अंचलाधिकारी को इसमें विशेष अभिरूचि लेकर कार्य सम्पन्न करने हेतु निदेशित किया गया।

(ट) जन शिकायत

जन शिकायत संबंधी मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव कोषांग का तारडीह में 1 एवं बिरौल अंचल में 1 मामला लम्बित है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इसका इस माह के अन्त तक निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन

समर्पित करेंगे। उसीप्रकार जिलाधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त सभी लम्बित मामले का भी निष्पादन तुरंत करने का निदेश दिया गया। इसमें सबसे अधिक मनीगाछी में 43 एवं सिंहवाड़ा अंचलाधिकारी के पास 38 मामले लम्बित दिखाए जा रहे हैं। गत माह में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ठ) विभिन्न विभागों को भूमि उपलब्ध कराना

विभिन्न कार्य हेतु यथा–नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भूमि उपलब्ध कराने के बिन्दु की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी अंचलों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लायी जा रही है, जो काफी खेदजनक स्थिति है।

सभी अंचलाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों जहां–जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां का प्रमाणपत्र बनाकर जिला को उपलब्ध करावें ताकि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय– अंचलवार समीक्षा के कम में पाया गया कि प्रतिवेदित माह में अधिकतर अंचलों का प्रगति प्रतिवेदन शून्य पाया गया है। विशेषकर केवटी, सिंहवाड़ा, तारडीह, मनीगाछी, अलीनगर, बिरौल एवं कुशेश्वरस्थान।

जिलाधिकारी द्वारा शून्य प्रगति वाले सभी अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया साथ हीं उन्हें आगामी माह में इसमें प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भी निदेशित किया गया।

स्वास्थ्य उप केन्द्र/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र–

उसी प्रकार स्वास्थ्य उप केन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भी भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में अंचलाधिकारी द्वारा विशेष अभिरूचि नहीं लेने के कारण सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इसकी सूची बनाकर सभी पंचायत प्रतिनिधि को दें तथा उनके साथ समीक्षा भी करें। इसके लिए सभी संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी को भी जबाबदेही सुनिश्चित करें।

सबसे अधिकतम लम्बित रखने वाले अंचलाधिकारियों में बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी एवं मनीगाछी अंचल पाया गया है। उन्हें इसमें विशेष ध्यान देने हेतु निदेशित किया गया।

आंगनबाड़ी केन्द्र –

आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकतर अंचलों की प्रगति बिल्कुल असंतोषजनक पायी गयी। इसमें सबसे अधिक बहेड़ी, मनीगाछी, घनश्यामपुर, जाले एवं सिंहवाड़ा में लम्बित पाया गया है। संबंधित अंचलाधिकारी को इसमें विशेष अभिरूचि लेने हेतु निदेशित किया गया।

थाना भवन– इसके लिए मब्बी ओ0पी0, बेंता ओ0पी0, महिला एवं अनुसूचित जाति थाना, मोरो ओ0पी0, अशोक पेपर मिल थाना, जमालपुर थाना, तिलकेश्वर ओ0पी0 के संबंध में मामला अंचल स्तर पर लम्बित पाया गया है। इसके सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे उपरोक्त सभी थाना/ओ0पी0 के लिए भूमि उपलब्ध कराने/त्रुटि निराकरण हेतु तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(ठ) बेदखली से संबंधित प्रतिवेदन

बेदखली के संबंध में पूरे जिला में बहादुरपुर, हनुमाननगर, जाले, केवटी, मनीगाछी, तारडीह, बेनीपुर एवं कुशेश्वरस्थान अंचल से प्रतिवेदन शून्य है। प्रत्येक अंचल में इसके गहन सर्वेक्षण की आवश्यकता है कि भू–हदबन्दी, भूदान, सरकारी भूमि एवं बासगीत पर्चा आदि से वितरित भूमि में बेदखली का मामला है या नहीं। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे राजस्व कर्मचारी के माध्यम से इसकी गहन सर्वेक्षण कराकर प्रतिवेदित करेंगे ताकि उसपर दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई भी किया जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 436 /रा0, लहेरियासराय, दिनांक 24 वीं फरवरी, 2014 ।

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।